हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

(56)

की

ऑडिट रिपोर्ट

अवधि

वर्ष 1989–90 एवं 1990–91

Scanned with CamScanner

विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के लेखाओं पर सम्परीक्षा एवं निरीक्षण टिप्पणी

अवधि :- 1989-90 एवं 1990-91

रीक्षा तिथि :-

गत सम्परीक्षा दिनाँक 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुई जो वर्ष 1988-89 लेखाओं से सम्बन्धित थी । वर्तमान सम्परीक्षा दिनाँक 10 अप्रैल 1991 में रम्भ होकर दिनाँक 25 अगस्त 91 को समाप्त हुई, तथा वर्ष 1989-90 वं 1990-91 के लेखाओं के लिए है ।

प्रथम भाग

1- गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा :-

गत सम्परीक्षा आख्या प्राधिकरण के कार्यालय मे कई मास पूर्व प्राप्त हो चुकी थी, किन्तु इसके अभिटिप्पण की कार्यवाही तक नहीं की गयी थी । वर्तमान सम्परीक्षा अवसर पर पुरानी आपत्तियो के निस्तारण हेतु प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी का ध्यान बार-2 आकर्षित किए जाने पर भी एवं पर्याप्त समय व सुविधा प्रदान किये जाने के बावजूद किसी भी आपत्ति का अनुपालन नही दिखाया गया जिसके कारण किसी भी आपत्ति का निराकरण संभव न हो सका । इस कारण प्राधिकरण की स्थापना के प्रारंभिक चरणों में ही आपत्तियो का अनुपालन न कर सम्परीक्षा के महत्व की उपेक्षा की गयी थी । गंभीर आपत्तियो पर ऐसी उदासीनता का होना उचित नहीं था । अतः इस विषय मे शासन एवं प्राधिकरण अधिकारियों का व्यक्तिगत ध्यान आमंत्रित किया जाता है । अनुपालन के अभाव मे निम्नाँकित अनिस्तारित आपत्तियाँ शेष थी ।

अवधि	आख्या के अनुच्छेद	पत्रावली के पद
1986-87 से 1987-88	3 टिप्पणी (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10), 4, 5 टिप्पणी, (1), 6, 7 (1) (11) (111), 8 (1) (2) (3) (4) (5) 9, 10, 11 (1) (2), 12, 13, 14, 15,	

1988-89

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
(क) (ख), 23 (क) (ख), 24
(I) (II), 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32 (1) (2), 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39

3 टिप्पणी (1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9), 4, 6 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, …
8 टिप्पणी (1) (2) (3) (4) — 9, 10
9 (1) (2), 10 (1) (2) (3)
11, 12 (क) (ख) (ग), 13, 14
टिप्पणी (क) (ख) (I) (II), 15
टिप्पणी, 16 के (1) (2) (ख)
(ग) (घ), 17 (क) (ख) (ग) (घ)
ङ., च, 18 (क) (ख), 19

द्वितीय भाग

वर्तमान सम्परीक्षा

2- प्रशासन :-

आलोच्य वर्षों मे आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ प्राधिकरण के पदेन अध्य… एवं श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव आई० ए० एस० प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे।

श्री आर० एन० उपाध्याय पी० सी० एस० दिनांक 1-4-89 से।… 1990 तक तदोपरान्त श्री आर० एस० मिश्रा दिनांक 12 फरवरी, 90 से 31 मार्च 1991 तक प्राधिकरण के सचिव पद पर कार्यरत रहे।

3- वित्तीय स्थिति :-

उप सम्परीक्षा मे उपलब्ध लेखाओं के अनुसार विकास प्राधिकरण की स्थिति निम्नवत थी :-

1989 को अवशेष -	60,01,935
आय	80,34,346
योग-	1,49,36,281
व्यय	74,50,772
-90 को इतिशेष -	74,85,509 (क)
मार्च को लेजर के अनुसार शेष -	73,57,446=60 (ख)
मार्च को बैंक के अनुसार इतिशेष -	80,69,394=30 (ग)

इतिशेषों एवं लेजर इतिशेषों का विवरण :-

का विवरण	लेजर के अनुसार	बैंक के अनुसार
. पोस्ट आफिस बचत खाता	2,00,000	2,00,000
. सैन्ट्रल बैंक हरिद्वार 8000	11,53,047=59	17,75,395=96
. पंजाब नेशनल बैंक ऋषीकेश 9190	13,726=40	13,726=40
4. यूनियन बैंक ऋषीकेश	26,546=00	26,546=00
5. पंजाब नेशनल बैंक हरिद्वार खाता सं0 15738	19,03,179=81	19,81,902=53
6. पंजाब नेशनल बैंक ऋषीकेश खाता सं0 2178	3,01,730=10	3,18,606=35
7. पंजाब नेशनल बैंक हरिद्वार 5738	53,668=85	53,668=85
8. स्टेट बैंक इंडिया हरिद्वार 11137	6,30,969=00	6,30,969=00
9. सैन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया हरिद्वार खाता सं0 8888	1,30,778=00	1,30,778=00
10. पी0 एल0 ए0 हरिद्वार	20,722=60	20,722=60
11. विविध बैंकों में विनियोजन	29,23,078=66	29,23,078=66
12. हस्तगत शेष -	-----	------
	73,57,446=60	80,69,394=30

वर्ष 1990-91

1 अप्रैल 1990 को अवशेष	74,85,509=00
वर्ष की आय	2,07,01,649=19
योग-	2,81,87,158=19
वर्ष मे व्यय	1,82,46,585=05
31 मार्च 1991 को शेष -	99,40,573=14
31 मार्च को लेजर के अनुसार शेष	99,88,982=80 (क)
31 मार्च को बैंक के अनुसार शेष	1,02,49,536=64 (ख)
अन्तर - क एवं ख	40,409=66 (ग)
ख एवं ग मे अन्तर -	26,053=84

लेजर एवं बैंक इतिशेषो का विवरण :-

	लेजर के अनुसार	बैक के अनुसार
सावधि जमा	31,92,449=70	31,92,449=70
सैंट्रल बैंक 8000	6,26,802=59	8,20,317=37
---"-- 8888	19,65,681=94	19,76,792=94
पंजाब नेशनल बैंक 5738	10,26,074=57	10,78,533=83
---"--- 2175	2,29,185=70	2,32,054=50
यूनियन बैंक 8222	26,70,040=50	26,70,040=50
स्टेट बैंक 11137	78,747=80	78,747=80
पोस्ट आफिस मायापुर	2,00,000=00	2,00,000=00
योग-	99,88,982=80	1,02,49,536=[illegible]

टिप्पणी :-

उपर्युक्त दोनो वर्षों मे क, ख, ग पर अंकित इतिशेषो के अन्तर को स्पष्ट [illegible] जाएँ ।

12. प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1986 मे हुई थी किन्तु तलपट एवं बैलेन्स [illegible] किसी वर्ष नही बनायी गयी थी । ऐसी स्थिति मे वित्तीय आँकड़ो का [illegible]

(272)

(53) (3/13)

...ता पर आधारित है । जो अनन्तिम है तथा बैलेन्स शीट तैयार होने ...र्तनीय है ।

...बैंक इतिश्षों के विवरण से विदित होगा कि प्राधिकरण द्वारा 9 बैंकों ...खे गये थे । भविष्य मे नियन्त्रण व सुविधा की दृष्टि से कम से कम ...खाते रखे जाने पर विचार किया जाये ।

...लेजर मे योगादि पैंसिल से किये गये थे तथा यह लेखे सत्यापित न ...के कारण अनन्तिम थे । जिन्हे अद्यावधिक कर प्रमाणित किया जायँ ।

...आलोच्य वर्ष में किसी भी माह बैंक समाधान विवरण नही बनाये गये ...विवरण क्रमाँक 2, 5, 6 पर अंकित इतिशेषों के अन्तर का समाधान संभव ...ी सका । बैंक समाधान विवरण तैयार कर इतिशेषों के अन्तर को स्पष्ट ...ा जायँ ।

...ऋणों के भुगतान पर पर्याप्त नियन्त्रण रखे जाने हेतु शोधन निधि की ...थापना नही की गयी थी । यह अनुचित था । इसकी स्थापना हेतु कार्यवाही ...ा जायँ ।

...। रोकड़िया की रोकड़बही भाग -2 नही बनायी गयी थी जिसके ...ारण चैकों का समुचित एवं समय से वितरण सुनिश्चित नही किया जा सका । ...ार्यवाही सुनिश्चित की जायँ ।

...4 देय सम्परीक्षा शुल्क :-
= = = = = = = = =

...वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 की सम्परीक्षा शुल्क रू0 20,840=00 ...एवं 11,360=00 क्रमशः चालान संख्या 7 एवं चालान संख्या 63 दिनाँक - 26 मार्च 1990 द्वारा राजकोषागार हरिद्वार मे जमा कर दिया गया था ।

आलोच्य वर्ष 1989-90 की सकल आय रू0 80, 34, 364 में से ...ऋषीलोक आवास योजना एवं शिव लोक आवास योजना की रजिस्ट्रेशन शुल्क की वापिस की गयी धनराशि रू0 55,500/- एवं 33,981/- को घटाने के उपरान्त शुद्ध आय रू0 79,44,865/- पर शासनादेश संख्या 21 जून 1978 की दरों के अनुरूप रू0 24,405 का सम्परीक्षा शुल्क ड्राफ्ट निर्गत किया गया । इसी प्रकार वर्ष 90-91 की सकल आय रू0 2,07,01,649/- मे से ऋषीलोक आवास योजना एवं शिव लोक आवास योजनाओं की रजिस्ट्रेशन शुल्क की

वापिसी 10,70,437 एवं गंगा प्रदूषण हेतु प्राप्त धनराशि रू0 75,62,000/- के तहत स्थानान्तरित धनराशि रू0 41,45,673=60 एवं रू0 5,00,000/- जमीन क्रय हेतु अग्रिम दी गयी धनराशि कुल रू0 56,63,110=50 घटाने पर अवशेष धनराशि रू0 1,51,38,538=69 पर शासनादेशानुसार रू0 45,920/- सम्परीक्षा शुल्क आरोपित की गयी ।

सम्परीक्षा शुल्क

आलोच्य वर्षों की सम्परीक्षा शुल्क रू0 24,405 + 45,920=00 = 70,325=00 यथा शीघ्र जमा कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाये।

5= विनियोजन :-

प्राधिकरण के पास वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 मे निम्नॉकित विनियोजन पंजी के अनुसार थे।

वर्ष 1989-90

क्रमॉक	विवरण	धनराशि	परिपक्वता तिथि
1.	इलाहाबाद बैक एफ0 डी0/बी-017314/44/ 315 28 मार्च 1990-	1,04,000/-	27.9.90
2.	सैन्ट्रल बैक हरिद्वार क्यू0 जी0 टी0 938940 दि0 28 मार्च 90	3,37,944/-	24.9.90
3.	स्टेट बैक हरिद्वार एस0 डी0/ए 4768763 दि0 1.3.90	2,81,540=56	1.9.90
4.	पंजाब नेशनल बैक मायापुर क्यू0 जी0 वी0 938890 दि0 1.3.90	10,00,000/-	-- --
5.	इंडियन ओवरसीज बैक कनखल 88 डी0 आर0/ए0 190454 दिनॉक 6.2.90	1,08,243	6.8.90
6.	सिंडिकेट बैक कनखल हरिद्वार 372935/476/90 दिनॉक - 1-2-90	2,25,232=48	3.7.90
7.	सैन्ट्रल बैक आफ इंडिया हरिद्वार 898/31 दि0 29.1.90	4,50,118=62	28.7.90

Scanned with CamScanner

273

52

3/(4)

...रीज बैंक हरिद्वार ...0/457/89 दिनाँक ...12.89	2,08,000	22.6.90
...न ओवरसीज बैंक हरिद्वार डी०आर०/ए०/186/ 398 ...ाँक 28.12.89	2,08,000	---"--
पिछला सहित योग -	29,23,078=66	

वर्ष 1990-91

दिनाँक	विवरण	धनराशि	रेट	परिपक्वता तिथि
28.12.90	पंजाब एण्ड सिंह बैंक हरिद्वार एफ० डी०आर० संख्या 741821 दिनाँक 28.1290 एज 22.12.90 टू 22.6.91:	2,16,320/-	8%	22.6.91
7.2.91	सै० बैंक सावधि 898200 दि० 7.2.91 एज 28.1.91 टू 28.791	4,00,000/-	8%	28.7.91
7.2.91	सिंडिकेट बैंक सावधि 43297/ दि० 7.2.91 एज 31.1.91 टू 31.7.91	239080.70	8%	31.7.91
14.2.91	इण्डियन ओ०बैंक सावधि 800433 दि० 14.2.91 एज 6.2.91 टू 6.8.91	108243/-	8%	6.8.91

5.	5.3.91	स्टेट बैंक हरिद्वार सावधि 142807 दि0 5.3.91 एज 28.2.91	2,00,000/-	8%	15.4.91
6.	29.12.90	इण्डियन ओ0 बैंक सावधि 596359 दि0	2,16,320/-	8%	22.6.91
7.	27.3.91	इलाहाबाद बैंक सावधि 701521/507 दि0 27.3.91	1,12,486/-	8%	13.5.91
8-	20.2.91	सावधि 493576 दि0 20.2.91 ओ0बी0सी0 जगजीतपुर, हरिद्वार, रू0 40,400 + 10,00,000/-	10,00,000/-	8%	20.8.91
9.	26.3.91	इलाहाबाद बैंक सावधि 701510/46/496 दिनाँक 26.3.91	1,00,000/-	8%	11.5.91
10.	27.3.91	बैंक आफ बड़ौदा सावधि 0514448 दि0 27.3.91	1,00,000/-	8%	12.5.91
11.	27.3.91	सैं0 बैंक सावधि 898219 दिनाँक 27.3.91	1,00,000/-	8%	12.5.91
12.	27.3.91	सिंडिकेट बैंक सावधि 339523/451 दिनाँक 27.3.91	1,00,000/-	8%	11.5.91
13.	27.3.91	पं0 ने0 बैंक सावधि 668552 दि0 27.3.91	1,00,000/-	8%	11.5.91
14.	30.3.91	ओ0बी0सी0 सावधि 102934/45/91 दि0 30.3.91	1,00,000/-	8%	15.5.91
15.	27.3.91	पंजाब सिंध बैंक हरि0 सावधि 741725/116/91 दि0 27.3.91	1,00,000/-	8%	12.5.91
			31,92,449=70		

(1) विनियोजन पंजी निर्धारित प्रपत्र पर नहीं बनायी गयी थी और न ही
...ायी गयी पंजी के समस्त स्तम्भ भरे गये थे कार्यवाही अपेक्षित है।

(2) सभी विनियोजन मात्र 6 मास हेतु किये गये थे। अल्प अवधि के
विनियोजन किये जाने के फलस्वरूप व्याज की नीची दरों के कारण व्याज की
...म्भावित थी। लम्बी अवधि के लिए विनियोजन न किये जाने के कारणों
पर प्रकाश डाला जायें तथा भविष्य मे लम्बी अवधि के लिए विनियोजनो पर
विचार किया जाना प्राधिकरण हित मे होगा।

(3) विनियोजन से सम्बन्धित पास बुके / रसीदे उप सम्परीक्षा मे प्रस्तुत
रही क्यो कि इन्हे सम्परीक्षा से पूर्व ही भुनाकर पुर्नविनियोजित कर दिया
गया था।

(4) विनियोजन पंजी के अनुसार गत वर्ष के विनियोजन जो आलोच्य वर्ष
मे भुनाये गये थे से प्राप्त व्याज की राशि को ही रोकड़बही मे अंकित किया
गया था जब कि परिपक्वता मूल्य को रोकड़बही मे दर्शाते हुए पुर्नविनियोजन
से सम्बन्धित संक्रमण प्रविष्टि की जानी चाहिए थी। भविष्य मे उक्त अनियमितता
की पुनरावृत्ति न की जायें।

6= दायित्व एवं परिसम्पत्ति :-

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद के
परिपत्र संख्या सन्दर्भ-5/ एक (34) एवं/ 5781 दिनाँक 27 मार्च, 1980
जो उत्तर प्रदेश के समस्त प्राधिकरणो को सम्बोधित था केअनुसार प्राधिकरण
को प्रत्येक वर्षान्त मे निर्धारित प्रपत्र पर तुलन पत्र, लाभ हानि खाता, तथा
नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्वो का विवरण तैयार किया जाना चाहिए
था किन्तु प्राधिकरण द्वारा उक्त आदेशो का परिपालन अभी तक सुनिश्चित
नहीं किया गया था यह स्थिति प्राधिकरण हित मे नही थी तथा आपत्ति
जनक थी। ऐसी स्थिति मे दायित्व एवं परिसम्पत्ति के आँकड़ो का
संकलन सामान्य रीति से निम्नवत किया गया है जो अनन्तिम है।

वर्ष 1989-90

दायित्व	धनराशि	परिसम्पत्ति	धनराशि
1. राजकीय ऋण	45,41,824	1. 31 मार्च 1990 को इतिशेष	74,85[illegible]
2. ऋणों पर देय ब्याज	शून्य	2. विनियोजन	
3. अप्रयुक्त अनुदान	शून्य	3. स्थायी अग्रिम	29,2[illegible]
4. नजूल चतुर्थांस	अज्ञात		
5. देय संपरीक्षा शुल्क	11,360		
6. आरक्षित निधि	स्थापित नहीं		
7. शोधन निधि	स्थापित नहीं		
8. प्रतिभूतियाँ ठेकेदार कर्मचारी	अज्ञात		
9. दायित्वों पर परिसम्पत्ति का आधिक्य	58,56,103		
योग-	1,04,09,287	योग-	1,04,09,[illegible]

वर्ष 1990-91

दायित्व	धनराशि	परिसम्पत्ति	धनराशि
1. राजकीय ऋण	45,19,248	1. 31 मार्च 1991 को इतिशेष	99[illegible]
2. ऋणों पर देय बकाया	शून्य	2. विनियोजन	31[illegible]
3. अप्रयुक्त अनुदान	शून्य	3. स्थायी अग्रिम	
4. नजूल चतुर्थांस	शून्य		
5. देय संपरीक्षा शुल्क	24,450		
6. आरक्षित कोष	--		
7. शोधन निधि	---		
8. प्रतिभूति ठेकेदार	अज्ञात		
9. ------ कर्मचारी	अज्ञात		
10. दायित्व पर परिसम्पत्ति का आधिक्य	85,90,024		
	1,31,33,722		1,31,3[illegible]

: ।। :

...रक्षित कोष एवं शोधन निधि की स्थापना नही की गयी थी । कार्यवाही ...ा है ।

...प्रतिभूति पंजियो का योगादि नही किया गया था अतः देय राशि की ...न हो सकी । कार्यवाही अपेक्षित है ।

...नजूल पंजी नही बनायी गयी थी । कार्यवाही अपेक्षित है ।

राजकीय अनुदान :-

प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य वर्षान्तर्गत कोई आवर्तक/ अनावर्तक ...जकीय अनुदान प्राधिकरण को प्राप्त नही हुआ था और न ही गत वर्षों की ...ई राशि अप्रयुक्त शेष थी ।

राजकीय ऋण :-

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका प्राधिकरण ... आलोच्य वर्षों मे कोई ऋण प्राप्त नही हुआ था । गत वर्षों मे प्राप्त ऋण ...प्रतिदान एवं अदत्त ऋणो की स्थिति संलग्न परिशिष्ट "घ" पर अंकित है ।

नजूल सम्पत्ति :-

प्राधिकरण के पास कोई नजूल सम्पत्ति नही बतायी गयी । कृपया ...जिलाधिकारी कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस तथ्य की पुष्टि करायी जाये ।

10- अस्थायी अग्रिम पंजी :-

...विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1986 से ही अस्थायी अग्रिमो का स्वीकृति ...दान कर आहरण किया जाता रहा किन्तु स्वीकृत अस्थायी अग्रिमो को किसी ...अग्रिम पंजी मे लेखाबद्ध नही किया गया था । कोई अग्रिम पंजी न बनाये जाने ...अधिकरण अस्थायी अग्रिमो के आहरण दिनाँक, उद्देश्य एवं समायोजन की वास्तविक ...स्थिति की जाँच सम्भव न हो सकी । ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किया ...जाना निश्चय ही खेद का विषय है । ऐसी स्थिति मे प्रदत्त अस्थायी अग्रिमो ...की राशियो के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता । ...इस ओर प्राधिकरण के मुख्य लेखाधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आमंत्रित किया ...जाता है ।

अस्थायी अग्रिमों की भारी बकाया :-

बाह्य लेखों के अनुसार आलोच्य वर्ष के अन्त मे अस्थायी अग्रिमों की असमायोजित राशि रू0 16, 16, 562/- शेष थी जिनमें से मुख्य एजेन्सी एवं अधिकारी/ कर्मचारियो का विवरण निम्नवत् था ।

क्रमाँक	नाम एजेन्सी/ अधिकारी	धनराशि
1-	एसोसियेट सीमेंट एजेन्सी सहारनपुर	2,78,160
2.	गढ़वाल जल संस्थान देहरादून	8,14,200
3.	यू0 पी0 सीमेन्ट कारपोरेशन सहारनपुर	4,32,570
4.	श्री चन्द्रमोहन अग्रवाल , अवर अभियन्ता	31,480
5.	श्री मामचन्द अवर अभियन्ता	5,000
6.	श्री राधेश्याम वाजपेयी अवर अभियन्ता	5,000

11. स्थायी अग्रिम पंजी :-

प्राधिकरण द्वारा रोकड़िया के पास रू0 700/= का स्थायी अग्रिम दिया गया था किन्तु कोई स्थायी अग्रिम पंजी नही बनायी गयी । ऐसी स्थिति मे इस अग्रिम के उपभोग एवं प्रतिपूर्ति की वास्तविक जाँच सम्भव न हो सकी । अग्रिम पंजी तैयार कर आगामी अवसर पर प्रस्तुत की जायं।

12. श्री किशन स्वरूप , चपरासी की अनियमित नियुक्ति :-

श्री किसन स्वरूप ने चपरासी पद पर नियुक्ति हेतु दिनाँक 21 ... 1987 को प्रार्थना पत्र दिया था जिसे उपाध्यक्ष ने सचिव को मार्क कर ... नियुक्ति हेतु निदेशित नही किया था और न ही सचिव द्वारा कोई ... आदेश पारित किये थे तथापि श्री किसन स्वरूप का वेतन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप मे सितम्बर, 1987 से नियमित रूप से आहरित किया जा रहा था । यह स्थिति नितान्त अनुचित थी । बिना नियुक्ति आदेश के वेतन आहरित किये जाने के कारणों पर प्रकाश डाला जायँ तथा इस दिशा मे कार्यवाही की जाये ।

Scanned with CamScanner

पीताम्बर दत्त शर्मा कार्यालय अधीक्षक पद पर अनियमित नियुक्ति
...न का अधिक भुगतान :-

...विकास प्राधिकरण में कार्यालय अधीक्षक का पद सृजित न होने तथा ...त होने पर भी नियुक्ति प्राधिकारी शासन होने के कारण इस पद पर ...द्वारा-श्री पी0 डी0 शर्मा की की गयी नियुक्ति नितान्त अनुचित ...पत्ति जनक थी । नियुक्ति उपरान्त भी शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं ...इस विषय मे समुचित कार्यवाही अपेक्षित है । कृत कार्यवाही से आगामी ...र पर अवगत कराया जाये ।

...श्री पीताम्बर दत्त शर्मा प्रभागीय अधिकारी सहारनपुर के कार्यालय मे वरिष्ठ ...पद के चयन वेतनमान रू0 1350- 2200 मे कार्यरत थे तथा ...नियुक्ति दिनांक को अपने मूल विभाग मे रू0 1760/- वेतन प्राप्त कर रहे ...। इनकी व्यक्तिगत पत्रावली के पृष्ठ 18 पर कार्यालय अधीक्षक के पद पर ...ग्रहण करने के उपरान्त इनका वेतन वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 2 से 4 के ...के नियम 22 बी के अर्न्तगत 1-12-90 से रू0 1850/- पर निर्धारण की ...स्वीकृति प्रदान की गयी थी जब कि नियमानुसार इनका वेतन 1400- 2300 ...वेतनमान मे वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के अनुसार रू0 1760/- के ...सोपान पर ही निर्धारण योग्य था इस पर इन्हे किये गये अधिक भुगतान की ...वापसी करायी जाएँ तथा अनुपालन कार्यवाही से आगामी अवसर ...पर अवगत कराया जायें ।

श्री विनोद कुमार राव लिपिक को वेतन वृद्धि का त्रुटिपूर्ण भुगतान :-

श्री विनोद कुमार राव की नियुक्ति ट्रेसर पद पर वेतनमान रूपया-340- 454 मे 28 जुलाई 1987 को की गयी थी जब कि यह पद सृजित नही था । 14 दिसम्बर 1987 को उसी वेतनमान मे इनका समायोजन लिपिक पद पर किया गया था तथा अगली वेतन वृद्धि 14 दिसम्बर 1988 के स्थान पर 28 जुलाई 1988 को ही प्रदान की गयी थी । पृथक कैडर होने के कारण इन्हे लिपिक पद पर ट्रेसर पद की सेवाओं का लाभ दिये जाने का कोई औचित्य नहीं था । अधिक भुगतान की गणना कर वापसी करायी जायें तथा वेतन-वृद्धि की तिथि मे संशोधन किया जायें ।

15. 1 लिपिक एवं 2 चपरासी के पद सृजन बिना अनियमित वेतन का भुगतान

शासनादेश संख्या 350 / 11-4-डी०ए० 89-91/ डी०ए०/86 दिनांक 16 जून 1989 नगर विकास अनुभाग -4 तथा इसी तारतम्य मे शासनादेश संख्या 89-91 डी०ए०/86 टी० सी० दिनाँक 18 नवम्बर 1989 नगर विकास अनुभाग-4 द्वारा 28 फरवरी 1990 तक के लिए जो पद स्वीकृत किये गये थे उन पदो की 28 फरवरी, 90 के उपरान्त निरन्तरता की स्वीकृति प्राप्त नही की। अतः निम्न पदधारको के मार्च 1990 से मार्च 1991 तक के वेतन का भुगतान प्राधिकरण निधि पर उचित भार नहीं था।

सृजित पदो का विवरण

सहायक अभियन्ता	2	वरिष्ठ लिपिक	1
अवर अभियन्ता	6	रोकड़िया	1
सर्वेयर	1	टंकक/ लिपिक	4
सर्वे असिस्टैंट	1	चपरासी	5
ड्राफ्टसमैन	2	ड्राइवर	2
लेखाकार	1	स्वीपर	1
प्रधान लिपिक	1		

उक्त पदो के समक्ष लिपिक के सृजित 4 पदों के समक्ष 5 लिपिक एवं चपरासी के 5 पदो के समक्ष 7 चपरासी आलोच्य अवधि मे कार्यरत थे। अधिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियो पर दत्त वेतन भुगतान की गणना करके सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करके वसूली की कार्यवाही की जाये।

16= नायब तहसीलदार के पद पर बिना शासन की स्वीकृति के अनियमित प्रतिनियुक्ति

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता की प्रतिनियुक्ति नायब तहसीलदार के पद पर 1500-2040 के वेतनमान मे जिला कलेक्ट्रेट हरिद्वार से की गयी थी। शासनादेश संख्या 666/ 11-4- डी० ए० / 88-89 डी० ए० 88 दिनाँक 17 मार्च 1989 एवं 1073/ 11-4-डी० ए०-88 दिनाँक 16 जून 1989 नगर विकास अनुभाग -4 के अनुसार सेवा नियमावली शासन से अनुमोदित न होने तक विकास प्राधिकरण मे बिना शासन की अनुमति के नियुक्तियों पर रोक लगा दी गयी थी तथापि

Scanned with CamScanner

ीलदार पद पर नियुक्ति कर जहाँ शासनादेशों का उल्लंघन किया
ही दूसरी ओर प्राधिकरण को अनावश्यक व्यय से भारित किया
इस पद पर किया गया भुगतान पालिका निधि पर उचित भार नहीं
विषय में समुचित कार्यवाही कर परिणाम से आगामी अवसर पर
ाया जायँ ।

पीताम्बर दत्त शर्मा कार्यालय अधीक्षक को स्थानान्तरण यात्रा
ते का अनुचित एवं अग्राह्य भुगतान रू0 1162/-

श्री पी0 डी0 शर्मा अपर जिलाधिकारी विकास सहारनपुर के निय-
न पर्युधन अधिकारी सहारनपुर कार्यालय मे बरिष्ठ सहायक के चयन वेतन
कार्यरत थे इनके द्वारा विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति हेतु प्रार्थना
ागया था जिस पर प्राधिकरण ने यथा सम्यक विचारोपरान्त श्री शर्मा
र्यालय अधीक्षक पद पर स्वीकृति प्रदान कर दी थी फलस्वरूप श्री शर्मा
पद पर दिनाँक 1 दिसम्बर 1990 को कार्यभार ग्रहण कर रू0 1408=10
ानान्तरण यात्रा भत्ते की माँग की थी जिसके विरूद्ध रू0 1162=85 की
ृति प्रदान कर दिनाँक 3 दिसम्बर 1990 को इन्हे भुगतान कर दिया
था ।

श्री शर्मा ने प्रतिनियुक्ति हेतु स्वयं प्रार्थना पत्र दिया था तथा इस हेतु
ारिश भी करायी थी जो पत्रावली मे संलग्न था । स्वेच्छा से करायी
तैनाती के कारण इन्हे स्थानान्तरण यात्रा भत्ते का भुगतान आपत्ति
ा था । इस राशि की वापसी सुनिश्चित करायी जायँ ।

= विकास शुल्क की अनियमित मुक्ति से प्राधिकरण को रू0 2789=00 की
आर्थिक क्षति :-

नर्सिंग एवं मैटरनिटी अस्पताल मायापुर का भूतल का मानचित्र
ा अगस्त 1986 मे विनियमित् क्षेत्र हरिद्वार से पारित था किन्तु प्रथम द्वितीय
ल का होटल का मानचित्र बिना स्वीकृत कराये ही होटल का निर्माण कराया
या । मालिक श्री सुखपाल सिंह ने प्रकरण को कम्पाउंड करने हेतु आवेदन दिया
था जिस पर अभियन्ता ने रू0 22061=00 समझौता शुल्क एवं रू0 2,789=00
िकास शुल्क आरोपित किया था । विकास शुल्क की माफी हेतु श्री सुखपाल
सिंह ने प्रार्थना पत्र दिनाँक 5-7-90 प्रस्तुत किया जिस पर उपाध्यक्ष ने लिखा

था कि बोर्ड की मीटिंग के निर्णय दिनाँक 16.9.89 की मद संख्या 6 के अनुसार विकास शुल्क अवश्य लगेगा । ß नोट शीट 13ß

तदोपरान्त उपाध्यक्ष ने अपना आदेश अंकित किया कि निर्माण बैठक से पूर्व का होने के कारण विकास शुल्क माफ किया जाता है जब कि मालिक के प्रार्थना पत्र के अनुसार भवन 5.7.90 में निर्माणाधीन था । इस प्रकार विकास शुल्क की मुक्ति अनियमित रूप से प्रदान की गयी थी साथ ही कोई भी अधिकारी अपने दिये गये निर्णय को पुनः उद्घोषित करने का अधिकारी नहीं होता । अस्तु इस राशि की भवन स्वामी से वसूली की जायँ अन्यथा दोषी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायँ एवं कृतकार्यवाही से आगामी अवगत कराया जायँ ।

[illegible] लोक आवासीय योजना भाग-2 में बिलडिंग प्लान तैयार करने अरविन्द आर्कीटेक्ट को अनियमित भुगतान :-

सम्बन्धित पत्रावली के पृष्ठ 1 व 2 नोट शीट गायब थे पृष्ठ 2 पर टैन्डर प्राप्त होने का उल्लेख था किन्तु टैन्डर संलग्न न होने के कारण इनकी दरों आदि का ज्ञान सम्भव न हो सका । पृष्ठ 4 पर अंकित निर्देश के अनुसार इन टैन्डरो को निरस्त कर कोटेशन माँगने के निर्देश दिये गये थे। पृष्ठ 5 पर सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार 4 कोटेशन प्राप्त थे इनमें से अरविन्द आर्चीटेक्ट देहरादून का कोटेशन धरातल पर कवर्ड एरिया 1.48 वर्ग फीट एवं धरातल के ऊपर 0.45 पैसा वर्ग फीट की दर से उक्त योजना का तीन मंजिली इमारत का प्लान तैयार करने हेतु स्वीकृत किया गया था । इस योजना का बिल कुल रू0 73,361=71 का था जिसके समक्ष 27.12.89 को 10,000/- का भुगतान किया गया था । प्राधिकरण में 2 ड्राफ्टमैन एवं 1 ट्रेसर तथा 1 सहायक नगर नियोजक के पदों पर अधिकारी के कार्यरत होने पर भी यह कार्य बाहर से सम्पादित कराया जाना प्राधिकरण हित में उचित प्रतीत नहीं होता । अतः यह व्यय प्राधिकरण पर उचित व्यय भार नहीं था ।

...चार पत्रों एवं पत्रिकाओं के क्रय पर अनियमित एवं अग्राह्य भुगतान
...3,679/=

वर्ष 1989-90 में रू0 1288=10 एवं 1990-91 में रू0 2391=00
...वोहरा न्यूज एजेन्सी हरिद्वार को नवभारत टाइम्स टाइम्स आफ
...समाचार पत्रों एवं सुमन सौरभ धर्मयुग, सरिता, फिल्म फेयर आदि
...के क्रयार्थ भुगतान किया गया था । क्रीत पुस्तकों एवं समाचार पत्रों
...भंडार प्रविष्टि तक नही की गयी थी ऐसी स्थिति मे क्रय को संदिग्ध
...जाना अनुचित न होगा । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के पास कोई पुस्तकालय
...ही था अतः यह क्रय पूर्णतया संदिग्ध था अथवा इनका किसी स्तर पर
...योग सम्भावित था । इस अनियमित भुगतान पर रोक लगायी जायँ तथा
...की उपयोगिता के विषय मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायें ।

...गैस सिलेंडरो के क्रय मे रू0 225/= का अधिक भुगतान :-

दिनाँक 13 मार्च 1990 को प्राची गैस लिक्स हरिद्वार से 2 कि0ग्रा0
...के 3 सिलेंडर रू0 400/- प्रति गैस सिलेंडर की दर से रू0 1200/- में क्रय
...ये गये थे । इससे पूर्व दिनाँक 15 जनवरी, 1990 को रवि लाइट हाउस से
...0 325/- प्रति गैस सिलेंडर की दर से सिलेंडर क्रय किये गये थे ।
...नावली के अनुसार रवि लाइट हाउस के सिलेंडरो मे किसी प्रकार की कोई
...कनीकी कमी नही थी किन्तु प्राधिकरण द्वारा कोटेशन न मागे जाने के कारण
...संस्था को तुलनात्मक दरो के लाभ वंचित कर रू0 225/- का अधिक भुगतान
प्राची लाइट हाउस हरिद्वार को किया गया था । उत्तरदायी कर्मचारी से
इस राशि की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है ।

22- प्राधिकरण की अचल सम्पत्ति का सम्भावित दुरूपयोग :-

भंडार लेखे की उप समीक्षा मे विदित हुआ कि प्राधिकरण द्वारा
... कुछ समय के लिए एक गेस्ट हाउस कार्यालय भवन मे ही प्राविधान
90-91 मे कुछ समय निम्नवत पर्याप्त सामग्री क्रय की गयी थी मार्च 1991
किया था जिसके लिए ... कार्यालय कक्ष बना दिया गया था
के अन्त मे गेस्ट हाउस समाप्त कर पुनः ... के आवास पर उनके उपयोगार्थ
तथा गेस्ट हाउस की सभी वस्तुओं को उपाध्यक्ष

से दिया गया था बताया गया । इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुए समय -2 पर प्र
कर सीधे उपाध्यक्ष एवं सचिव के आवास पर दी गयी थी । विभागीय वस्तुओं
का अधिकारियों के आवासों पर प्रयोग उचित न था । इन वस्तुओं के मूल्य
का आंकलन कर उसका प्रचलित दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति करायी जायँ ।

वस्तु का नाम	उपाध्यक्ष निवास	सचिव निवास
‡1‡ कूलर	2	2
‡2‡ स्टील आलमारी	5	4
‡3‡ पखें	--	5
‡4‡ साइकिल	2	2
‡5‡ सोफासेट	1	---
‡6‡ डबलबैड	1	---
‡7‡ बैडशीट	1	---
‡8‡ गद्दे कर्ल आन	4	---
‡9‡ ब्रीफकेश	2	---
‡10‡ पर्दे	1	---
	17	

‡2‡ भंडार लेखे से 5 पंखो की स्थितिअज्ञात रही इनका भी किसी स्तर पर दुरूपयोग सम्भावित था । वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायँ ।

‡3‡ भंडार का विकास प्राधिकरण की स्थापना से अभी तक भौतिक सत्यापन नही किया गया था, ऐसी स्थिति मे भंडार मे अनुरक्षित बहुमुल्य वस्तुओं के दुरूपयोग की सम्भावना को भी नकारा नही जा सकता । जाँच कर वस्तुस्थिति से आगामी सम्परीक्षा को अवगत कराया जायँ ।

विकास शुल्क की सम्भावित क्षति रू0 1384=60

प्राधिकरण की ऋषीकेश ब्रान्च की नक्शा पत्रावली संख्या 08/8
के अनुसार सुनीला प्रभाकर पत्नी श्री विश्वनाथ प्रभाकर 10 ओल्ड बद्रीनाथ
रोड ऋषीकेश से नगर पालिका ऋषीकेश ने विकास शुल्क रू0 845/- रसीद नं
अस्पष्ट/ 10975 दिनाँक 6 जनवरी 1986 को वसूला था । इस भवन का दा

(279) (46) (3/8)

..2. 96 वर्ग मीटर था जिस पर विकास प्राधिकरण की ... दरों
.. रु0 2229=60 विकास शुल्क अनुमन्य था अस्तु प्राधिकरण को रुपया-
.. - 845= 1384=60 की वसूली भवन स्वामी से मानचित्र स्वीकृत
..र्व करनी चाहिए थी किन्तु ऐसा न करके प्राधिकरण को क्षति पहुचायी
..। इस राशि की वसूली कर धनराशि प्राधिकरण कोष मे जमा करायी

..धिकरण की बिना स्वीकृति के निर्मित भवनो पर कोई कार्यवाही न
..रने से कम्पाउंड शुल्क की भारी आर्थिक क्षति :-

उप सम्परीक्षा मे विदित हुआ कि प्रथम तल पर निर्माणार्थ स्वीकृति ..तुत मानचित्रो मे से ऐसे मानचित्र थे जो प्राधिकरण की बिना स्वीकृति ..र्मित थे इनसे भूतल पर निर्मित भवन के नक्शे की माँग तो की गयी थी ..ु प्रस्तुत न किये जाने पर या अन्य लगायी गयी आपत्ति को दूर न करने ..प्रस्तुत मानचित्र को अस्वीकृत कर इतिश्री मान ली गयी थी जब कि पूर्व ..र्मित भवन का नक्शे पारित न कराये जाने के कारण कार्यवाही कर कैसो को ..उंड किया जाना चाहिए था यदि ऐसी कार्यवाही की जाती तो प्राधिकरण ..य ही समझौता शुल्क से लाभान्वित होती किन्तु ऐसा न करके पर्याप्त क्षति ..ायी गयी थी इस विषय मे कार्यवाही अपेक्षित है। कृतकार्यवाही से आगामी ..रीक्षा अवसर पर अवगत कराया जाये। इस प्रकार के कतिपय उदाहरण ..न्नवत है :-

..रॉक	भवन स्वामी का नाम	आपत्ति का सूक्ष्म विवरण
1.	श्रीमती शान्ताकुमारी बिल्केश्वर रोड़	वर्तमान निर्माण का स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नही किया। पूर्व निर्माण का मानचित्र अप्रस्तुत।
2.	श्री खेमचन्द डुंजगली खड़खड़ी	
3.	ब्रहम चारिणी गौरी देवी मुनमुन एकाडमी कनखल	वर्तमान बाउंड्रीवाल जो दो प्लाटो मे बनी है उसे नही हटाया गया और न ही कम्पाउन्ड कराया गया।

4. व्यवस्थापक श्री वेदपाल गायत्री ट्रस्ट — सम्पूर्ण निर्मित निर्माण का मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया।

5- श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा — पूर्व निर्मित भवन का मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया।

25= स्वीकृत मानचित्रों केअनुरूप निर्माणो की जाँच न किये जाने से अनियमित एवं अवैध निर्माण की आशंका :-

उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत शर्त नं0 6 के अनुपालन मे भवन स्वामी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त गृह मे प्रवेश से पूर्व इस आशय की सूचना दी जानी चाहिए थी तथा अवर अभियन्ता को यह सुनिश्चित करना था कि मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य हुआ है अथवा नही। परन्तु प्राधिकरण द्वारा उक्त नियम का पालन न कराये जाने से अवैध निर्माणो की पूर्ण सम्भावना थी अस्तु उक्त अनियमितता पर पूर्ण नियन्त्रण हेतु अवर अभियन्ताओं द्वारा क्षेत्रवार मानचित्र पंजियाँ अनुरक्षित करते हुए समय 2 पर नियमित निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है ताकि प्राधिकरण शमन शुल्क की भारी आय से लाभान्वित हो सके।

26= विश्वकर्मा पुरम् भाग -1 का (ले आऊट) स्वीकृति में गंभीर अनियमितता

पत्रावली की नोट शीट 1 पर अवर अभियन्ता ने 15-1-88 को ले आऊट की स्वीकृति हेतु पी0 डब्लू0 डी0 विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था लिपिक ने पत्रावली की नोट शीट के अनुसार 13 आपत्तियाँ लगायी तथा आपत्ति संख्या 9 के अनुसार अनाधिकृत निर्माण का मामला बताया था किन्तु उपाध्यक्ष ने मात्र निम्न 2 आपत्तियाँ अनुमोदित कर कार्यवाही करने को लिखा था।

आ0सं0	विवरण
4 --	साइटप्लान मे स्थल की मापे अंकित नहीं है।
13	सीवर लाईन का डिस्पोजल नही है।

स0 70 नियोजक ने अपने नोट दिनाँक 19.10.88 मे अंकित किया कि प्र

भू उपयोग हरिद्वार की महा योजना मे जंगलात दर्शाया है । अतः ले
त नही हो सकता । 17. 3. 89 को उपाध्यक्ष । ने आदेश दिया कि
ग ।लैन्डयूज । को छोड़कर सभी बिन्दुओं की जाँच कर आगणन तैयार
इसके आधार पर जे0 ई0 ने 17. 4. 89 को आगणन की स्वीकृति माँगी
पर सहायक अभियन्ता ने लिखा था कि मुख्य माग के अतिरिक्त एक
र्ग बनाया जाना प्रस्तावित है उन्होने लिखा था कि मुख्य मार्ग पर
ी किसी नई कालोनी को फेस नही कराया जाता है इसके पालन हेतु
विकास प्राधिकरण ने अपनी शिव लोक कालोनी मे साइट मे सर्विस रोड
का प्राविधान रखी है पर्याप्त समय उपरान्त सहायक अभियन्ता का
न्तरण होने पर कार्यवाहक सहायक अभियन्ता से रिपोर्ट माँगी गयी उन्होन
सितम्बर 1989 को लिखा कि रोड की आवश्यकता नही है । यू0 पी0 स्टेट
मेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड के दिनाँक 26 फरवरी 1989 को अधिशासी
न्ता ने लिखा था कि भूमि उक्त विभाग की है । निगम के किसी कर्मचारी
नाँक 12 जून 1990 को नोट शीट मे लिखा था कि औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार
कनखल के खसरा नं0 2 मे निगम की 27 बीघा 11 बिस्वा 19 बिस्वांसी
है । तहसीलदार के पत्र दिनाँक 3 जनवरी 90 के खसरा खतौनी 16 अप्रैल
के अनुसार विवादित भूमि निगम की नही है निगम की भूमि पर गौशाला
म अवैध कब्जा किये है इसी के आधार पर उपाध्यक्ष ने आदेश पारित किया
भूमि विवादित नही है अतः कार्यवाही समाप्त की जाती है । इसी के
ार पर दिनाँक 12 जून 1990 को ले आऊट की स्वीकृति प्रदान कर दी
जो नितान्त अनुचित एवं आपत्ति जनक था इसमे निम्न अनियमित्ताये
दृष्टिगत हुई :-

सहायक अभियन्ता की आख्या को नजरअन्दाज कर कालोनाइजर को सड़क
र्माण व्यय से बचाया गया प्रतीत होता था स्पष्ट किया कि यदि सड़क
र्माण अनिवार्य नही था तो प्राधिकरण ने शिवलोक योजना मे सड़क पर व्यय
ो किया गया । सहायक अभियन्ता का कथन सत्य था किन्तु ऐसा न कर
ालोनाइजर को लाभान्वित किया गया जो आपत्ति जनक था ।

2। बिना ले आउट प्लान स्वीकृत कराये कालोनाईजर ने विकास कार्य

केस कम्पाउन्ड करना अपेक्षित था तथा कम्पाउण्ड
शुरू कर दिये थे ऐसी स्थिति मे
शुल्क प्राप्ति हेतु कार्यवाही भी अपेक्षित थी परन्तु ऐसा न कर प्राधिकरण को
भारी क्षति पहुचायी गयी थी । इस विषय मे उत्तरदायित्व निर्धारित किया
जाएँ ।

जिस कर्मचारी ने यह लिखा था कि भूमि निगम की नही है के हस्ताक्षर
§3§ स्पष्ट नही थे और न ही मोहर थी साथ ही उसके द्वारा विकास प्राधिकरण
की पत्रावली के नोट शीट पर तथ्य अंकित किया जाना और भी संदेहास्पद था
बाहरी व्यक्ति द्वारा पत्रावली की नोट शीट पर लिखना इस बात का भी
द्योतक था कि प्राधिकरण के लेखा अभिलेख भी गोपनीय नही थे ।

उपर्युक्त तथ्यो के आधार पर यह कहना असंगत न होगा कि प्राधिकरण
के तत्कालीन तकनीकी अधिकारी एवं उपाध्यक्ष वास्तविक तथ्यो को परिवर्तित
करते हुए इस ले आऊट को पारित करते हुए बाध्य/ विवश थे, उन्होने इस
विषय मे प्राधिकरण के हितो एवं आवश्यक तकनीकी मुद्दो का ध्यान
न रखकर कालोनाइजर के हितो को सर्वोपरि माना था इस विषय मे विभागीय
जाँच कर सम्बधित व्यक्तियो के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाये ।

27= विश्वकर्मा पुरम् भाग -2 बाई पास रोड हरिद्वार के ले आऊट प्लान की
अनियमित एवं आपत्ति जनक स्वीकृति एवं सम्भावित आर्थिक क्षति :-

श्री नरेश धीमान ने दिनाँक 8 अगस्त को ले आऊट वास्ते विश्व
कर्मापुरम् भाग -2 बाई पास रोड हरिद्वार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत किया था जिस पर लिपिक ने 22 आपत्तियाँ अंकित की थी जिनमे
निम्न आपत्तियाँ मुख्य थी ।, §1§ पुरी कालोनी मे एक ही एप्रोज रोड
है । §2§ विना स्वीकृति के स्थल की भूमि को समतल कर विकास कार्य
कराया गया । §3§ स्थल से सम्बन्धित सभी विभागो से अनापत्ति प्रमाण
पत्र लेना है यथा न0 पा0, वन विभाग, रेलवे, पी0 डब्लू 0 डी0 आदि
§4§ भू स्वामित्व एवं क्षेत्रफल के विषय मे नायव तहसीलदार विकास प्राधिकरण
की आख्या मान्य होगी । यह आपत्तियाँ स0 नगर नियोजक ने 18 अगस्त
1990 को पार्टी को भेजी थी जिस पर पार्टी ने 20 सितम्बर 1990 तक आ

Scanned with CamScanner

(44) (316) (281)

...ंग कर गया था । भू स्वामित्व के विषय मे नायब तहसीलदार से ...माँगी गयी थी नायब तहसीलदार ने दिनाँक 24 सितम्बर 1990 को ...आख्या प्रस्तुत की थी रिकार्ड के अनुसार प्रान्तीय सरकार इण्डस्ट्रियल ...के नाम अंकित है । विक्रय पत्र मे भूमि 4098 - 51 वर्ग मीटर है । ...के आऊट मे 7402.10 वर्ग मीटर है । प्रार्थी से दाखिल खारिज की ...एवं उ0प्र0 एस0आई0 डी0 सी से अनुमति प्रमाण पत्र लिया गया । नगर ...जक की आख्या दिनाँक 21 नवम्बर 1990 के अनुसार पार्टी ने 30 सितम्बर ...90 को प्रार्थना पत्र दिया था कि दाखिल खारिज की नकल प्राप्त होने पर ...ब्ध करा दी जायेगी जिस पर उपाध्यक्ष ने 8 नवम्बर 1990 को निम्नवत् ...देश दिये । ǁ1ǁ 1190 वर्ग फीट भूमि मन्दिर प्रयोग से मुक्त करने की ...हमति विक्रेता को दी जाये । ǁ2ǁ पूर्व निर्मित एवं स्वीकृत कालोनी मे ...वाई समाप्त कर दिया गया था उसके लिए इस कालोनी मे स्थान दे दिया जाये ।

ǁ3ǁ ओनर शिप के विषय मे शपथ पत्र ले " उक्तानुसार कार्यवाही कराकर उपाध्यक्ष ने 1 दिसम्बर 1990 को अनुमति प्रदान कर दी थी । उक्त दी गयी स्वीकृति प्राधिकरण नियमो के प्रतिकूल थी , क्यो कि भूमि विवाद ग्रस्त थी साथ ही दाखिल खारिज एवं रजिस्ट्री मे भूमि अंकन मे उपरिलेखन और भी संदिग्धता इंगित करता था । इसके स्वीकृतार्थ रू0 9,27,000/- का एस्टीमेट बनाया गया था जिस पर 16 प्रतिशत विकास शुल्क एवं 3 % सुपर-वीजन चार्जेज जोड़कर रू0 2,22,480/- कालोनाइजर से वसूल होने थे जिसे स्वीकृत कर बी0 सी0 ने इस राशि को किश्तो मे जमा करने हेतु लिखा था उपाध्यक्ष ने रू0 72,480/- तुरन्त एवं शेष रू0 15,000/- , रू0 30000/- की 5 किश्तो मे 15 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करने की अनुमति कालोनाइजर को दी थी इनमे 2 मास का अन्तर रखा गया था रू0 72,480/- दिनाँक 22 दिसम्बर 1990 को जमा कर दिया गया था किन्तु विकास शुल्क के विषय मे पार्टी ने रिट याचिका हाई कोर्ट मे दाखिल कर स्टे प्राप्त कर लिया था जहाँ एक ओर नियमो की अवहेलना कर गलत ले आउट पारित किया गया था वही विकास शुल्क तुरन्त जमा न कराकर प्राधिकरण के हितो

Scanned with CamScanner

विकास शुल्क की माफी यदि कोर्ट द्वारा की ...
की उपेक्षा की गयी थी अत: ... का दायित्व निर्धारित करना अनिवार्य
है तो इसके लिए तत्कालीन अधिकारी ... व्यय भी प्राधिकरण पर
होगा । इसके अतिरिक्त इस बाद पर किया जा रहा
उचित भार नहीं माना जा सकता ।
एस्टीमेट की जाँच मे निम्न तकनीकी अनियमिततायें दृष्टिगोचर हुई
§2§ नगर नियोजक की नोट शीट दिनाँक 22 दिसम्बर 1990 को अमल मे ला
§1§ कर एस्टीमेट मे रिटेनिंग वाल का परिव्यय नही जोड़ा गया था ।
लाकर एस्टीमेट मे रिटेनिंग वाल का परिव्यय नही जोड़ा गया था ।
§2§ सीवर व्यय नही जोड़ा गया था ।
§3§ एस्टीमेट मे मार्केट बढ़ोत्तरी 10 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत
जोड़ी गयी थी जब कि इन्ही के पूर्व ले आउट मे 10 प्रतिशत जोड़ी थी ।
असंगतियो के विषय मे भी स्थिति स्पष्ट करते हुए उत्तरदायी व्यक्तियो के
विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाये ।

§8§ नगर पालिका मीटिंग हाल के समक्ष सड़क का अनियमित निर्माण :-

नगर पालिका हाल के सामने की सड़क का खडन्जा हटाकर नयी सड़क
एवं नयी सड़क को जिलाधिकारी के निवास से जोड़े जाने का व्यय अनुमान
रू0 40968=40 का बनाया गया था किन्तु जिलाधिकारी के मौखिक आदेश
पर इसमे कतिपय परिवर्तन कर इसे रू0 60746/- का बनाया गया था कुल
कार्य रू0 54640=91 का 31 मई 1990 को सम्पन्न हुआ था । इसमे निम्न-
वत अनियमिततायें दृष्टिगत हुई ।

1- सड़क निर्माण हेतु उपाध्यक्ष/ आयुक्त से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त नही
की गयी थी ।

§2§ सड़क पर भू स्वामित्व पालिका का था जो हस्तान्तरित नही किया
गया था ऐसी स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा किया गया व्यय अनियमित एवं
प्रतिपूर्ति योग्य था ।

§3§ खड़न्जा तोड़ने पर 132 वर्ग मीटर मे 5667 पुरानी ईटे उपलब्ध दर्शायी
उनका मूल्य रू0 540/- प्रति हजार की दर से काटा गया था । जब कि
नियमानुसार 56 ईंट वर्गमीटर की दर से 7392 ईटे उपलब्ध होनी चाहिये
कम कटौती रू0 8x 35/- की प्रतिपूर्ति ठेकेदार से करायी जाये अन्यथा उत्तर-
दायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाएँ ।

कालोनी मे पुलिया निर्माण सम्बन्धी अनियमिततायें :-

1438=67 का व्यय अनुमान तैयार किया गया था
पी० त्यागी का ठेका रू0 23.9 प्रतिशत निम्न पर
कुल कार्य रू0 32,478/- मे 3 नवम्बर 1990 को सम्पन्न हुआ
मे 50 प्रतिशत विचलन हुआ था जिसकी औपचारिक स्वीकृति
निर्माण विभाग से प्राप्त नही की गयी थी । ऐसी स्थिति में
नियमित एवं आपत्ति जनक था ।

घनमीटर रोड के डिस्मैन्टलिग मे 2600 ईटे दर्शाकर ठेकेदार के
500/- प्रति हजार की दर से रू0 1300/- काटे गये थे जब कि
प्रति घनमीटर की दर से 6000 ईटे होनी चाहिए थी जिनकी कीमत
ति हजार की दर से रू0 3240/- काटी जानी चाहिए थी । कम दरो
ती का औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं रू0 1940/- की प्रतिपूर्ति
अथवा उत्तरदायी अधिकारी से करायी जाये ।

डिस्मैन्टलिग मे पुराना लोहा अनुपलब्ध दर्शाया था जब कि निर्माण
5142 कुन्तल लोहा प्रयुक्त हुआ था । लोहा अनुपलब्ध होने
औचित्य नहीं था । इसकी समुचित जाँच कराकर मूल्य की वसूली ठेकेदार
दोषी कर्मचारी से कराई जाये ।

मौहल्ला कोटखान ज्वालापुर मे सड़क निर्माण सम्बन्धी अनियमित्तायें :-

इस कार्य का व्यय अनुमान 1,17,503=76 का बनाया गया था ।
नन्द किशोर से यह कार्य 16.96 कम पर रू0 94166=47 में सम्पन्न कराया
था । इसमें निम्न अनियमित्तायें दृष्टिगत हुई :-

1। कुल डिस्मैन्टलिग 35=80 घ0मी0 मे पुरानी 16541 ईटे मिलनी चाहिए
जिसके अनुसार रू0 540/- की दर पर रू0 8910/- कटौती की जानी
चाहिए थी किन्तु ठेकेदार से रू0 500/- कीदर पर 9880/- ईंटो का मूल्य
रू0 4940/- काटा गया था । रू0 8910-4940= 3970/- की ठेकेदार
से प्रतिपूर्ति अपेक्षित है ।

2। ठेकेदार के बिल मे पुरानी ईंटो का मूल्य रू0 4940/- पर 16.96 कम

Secretary
H. D. A.

करके कटौती की गयी थी जब कि ऐसा एग्रीमेंट मे कोई प्राविधान नहीं था ... पुरानी ईटे प्राधिकरण की सम्पत्ति थी जिन पर टेन्डर दर के अनुसार ... का कोई औचित्य नही था । इस प्रकार कटौती कर ठेकेदार को रू0 ... लाभ दिया गया था । इस राशि की प्रतिपूर्ति ठेकेदार अथवा उत्तर... कर्मचारी से करायी जायँ ।

§3§ राजाज्ञा के विरूद्ध कार्य मे कोलतार ठेकेदार ने स्वयं अपना प्रयोग ... इस विषय मे स्थिति स्पष्ट की जायँ ।

§4§ उक्त राशि पर विक्री कर 2 प्रतिशत काटा गया था जब कि 4 ... की दर पर कटौती अपेक्षित थी । शेष राशि की गणना कर कटौती की ...

31= 63 अल्प आय वर्गीय भवनो के निमार्ण मे अनियमित्ताये एवं आर्थिक ...

अन्तिम भुगतान रू0 1,235,750 अगस्त 1990 की जाँच मे निम्न गम्भीर अनियमित्ताये दृष्टिगत हुई :-

§1§ उपाध्यक्ष के आदेश दिनाँक 3 मई 1988 द्वारा मलवा ब्रिक मेटल पर शिड्यूल दर 80 पर 10 प्रतिशत जोड़कर ठेकेदार से कटौती होनी थी किन्तु ठेकेदार से 104.3 घन0मी0 की कटौती रू0 77/- की दर पर की गयी थी इस प्रकार 104.30 घ0 मी0 पर रू0 11/- प्रति घन मीटर की दर से रू0 1147=30 कम काटे गये थे । इस राशि की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है ।

§2§ उक्त कार्य पर विक्रीकर 2 प्रतिशत की दर पर रू0 26726=34 काटा गया था जब शासनादेशानुसार 4 प्रतिशत की दर पर विक्री कर काटा जाना था कार्यवाही अपेक्षित है ।

उक्त कार्य मे ठेकेदार के प्रार्थना पत्र के आधार पर चूना, व सुर्खी के बजाय नीव की भरायी मे 1: 6 सीमेन्ट व बालू गंगा प्रयोग की गयी थी जिसके कारण सीमेन्ट का अधिक प्रयोग हुआ था तथा ठेकेदार को टेन्डर शर्तों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा उची दरो पर क्रय कर ठेकेदार को देना पड़ा जिसके कारण प्राधिकरण को अधिक व्यय भार सहन करना पड़ा । इस विषय मे स्थिति स्पष्ट की जायँ ।

32= ऋषीलोक आवासीय §उच्च आय वर्गीय§ निर्माण सम्बन्धी अनियमित्तायें

इस योजनान्तर्गत 32 भवनो का स्वीकृत आँकलन रू0 25,21,600

...धिकरण की मीटिंग 27 अप्रैल 1987 में स्वीकृत था । इस कार्य हेतु ...
...कम्पनी की निविदा 10 प्रतिशत उच्च पर रू0 21,73,924= 37 ...
स्वीकृत हुई थी । कार्य आदेश 13 मई 1988 को दिया गया था किन्तु ...
...के पत्र संख्या 2811 दिनाँक 27 सितम्बर 1988 के अनुसार कार्य ...
...म्बर 1988 को प्रारम्भ माना गया था । कार्य आदेश दिनाँक 13 मई, 1988
...होने पर भी कार्य 29 सितम्बर 1988 को प्रारम्भ माना जाना
...निर्गत होने पर भी कार्य ... का द्योतक था । इस विषय में स्थिति
...दार को विलम्ब दंड से बचाये जाने का द्योतक था । इस विषय में स्थिति
...ष्ट की जायँ ।

इस कार्य की समय वृद्धि पत्रांक 1217 दिनाँक 1 जून 1990 द्वारा 30 जून
1990 तक दी थी किन्तु कार्य 31 मार्च 1991 तक भी अपूर्ण था । अनुबन्ध पत्र
के अनुसार विलम्ब से कार्य करने निमित्त ठेकेदार को दंडित किया जायँ ।
...पत्रावली पर लगे इन्डैन्ट एवं स्टाक बुक के अनुसार 2 मई 1990 तक
ठेकेदार को 5138 कट्टे निर्गत थे । किन्तु इनसे इसी तिथि तक बिल से
7138 कट्टों का मूल्य काटा गया था । अधिक निर्गमन के विषय में स्थिति
अभिलेखों से स्पष्ट की जायँ ।

ठेकेदार ने 1:3 चूने सुर्खी के बजाय 1: 8 सीमेन्ट रेत की चिनाई की
अनुमति माँगी थी जिसे उपाध्यक्ष ने 28-11-88 को स्वीकृत कर दिया था ।
जिसके कारण सीमेन्ट का अतिरिक्त व्यय भार पड़ा । यह अतिरिक्त व्यय भार
तथा कुछ अतिरिक्त आइटम का मूल्य जोड़कर वास्तविक लागत का मूल्य
पत्र के अनुसार रू0 26,51,542/- था जो स्वीकृत निविदा राशि से रूपया
4,77,617/- अधिक था यह वृद्धि मात्र सिविल कार्यों पर थी स्पष्टतया
एस्टीमेट उचित रीति से नही बनाया गया यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि
तकनीकी कमी का आभास ठेकेदार द्वारा तकनीकी स्टाफ को कराया
गया था । यह स्थिति तकनीकी स्टाफ की लापरवाही की द्योतक थी अथवा
जानबूझकर सीमेन्ट का अधिक कार्य दर्शाकर कम दरों पर सीमेन्ट ठेकेदार को
निर्गत कराने की जानी बूझी एक योजना थी । इस विषय की विभागीय
जाँच कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायँ ।

Secretary
H.D.A.

निष्कर्ष :-

उपर्युक्त अनियमितताओं एवं आपत्ति पत्रावली के अवशेष 30 पदों के अवलोकन से विदित होगा कि प्राधिकरण के लेखाओं में सुधार की आवश्यकता थी। आपत्ति पत्र वापस नहीं लौटाये गये। इन्हें अब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को लौटाया जावें।

स्थान- मेरठ

दिनांक- 28.11.92

एम0 पी0 सक्सेना
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

(एम0 पी0 सक्सेना)
सहायक निदेशक
स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पाठव /

कंडिका 3 में सन्दर्भित परिशिष्ट "क"

वर्ष 1989-90 व 1990-91 में

विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के आय और व्यय की तालिका (अंक पूर्ण रूपयों में)

क्र0 सं0	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष	राजकीय अनुदानों एवं ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अन्य राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय ऋण	वर्ष की सम्पूर्ण आय	प्रारम्भिक अवशेष सहित योग	वर्ष में हुआ व्यय	31 मार्च को अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(च)	5	6	7	8
	वर्ष 1989-90	6901935	8034346	--	---	---	8034346	14936281	7450772	7485509	
	वर्ष 1990-91	7485509	20701649	--	--	---	20701649	28187158	18246585	9940573	

Scanned with CamScanner

कण्डिका 3 में सन्दर्भित परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1989-90 व 1990-91 में

विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण (अंक पूर्ण रूपयों में)

क्रमांक	आय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की संहत स्थिति		मन्तव्य
			कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
	शासन से प्राप्त अनुदान के प्रयोजन :-	- शून्य -	शून्य	शून्य	

सम्परीक्षा शुल्क का विवरण कंडिका 4 में सन्दर्भित परिशिष्ट "ग"

क्रमांक	वर्ष	आय जिस पर संपरीक्षा शुल्क आरोपित की	शुल्क की राशि	बजट में प्राविधान	जमा शुल्क का विवरण		वर्षान्त बकाया
		रु0	रु0				
	1989- 90	79, 44, 865	24, 405	25,000	20, 840	चा0 सं0 63 दि0 26. 3. 90	70, 325
	1990-91	1, 51, 38, 538	45, 920	50,000	11, 360		

Scanned with CamScanner

कण्डिका 8 में वर्णित परिशिष्ट (घ)

वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्र0 सं0	राजकीय आदेश सं0 तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रा0 अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गयी धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	रा0सं0 3542/37-1-14/ सीड कैपीटल/86 आवास अनुभाग-1 दि0 11.8.86	आवासीय भवनों के निर्माणार्थ	2500000	23.8.86	2500000	शून्य	2500000	मूल शून्य ब्याज 275000	2500000	ब्याज की दर 11% समय से भुगतान न होने पर 4 1/2% मूलधन आहरण की 11 वीं वर्षगांठ से 5 समान किश्तों में भुगतान देय था। रू0 275000 चा0सं0 वी0-48 दि0 22.8.89 को तृतीय किश्त में जमा की गयी।
2-	सं0 926/23-12 (19)/86 पर्वतीय विकास अनुभाग	आवासों के निर्माणार्थ एवं विकास आदि के प्रयोजनार्थ	1500000	31.3.87	1500000	शून्य	1500000	मूल0 शून्य ब्याज- 172500	1500000	ब्याज 11 1/2% समय से भुगतान न होने पर 3 1/2% अति0 ब्याज देय था। मूलधन 11 वीं वर्षगांठ से 5 वर्षों में समान किस्तों में रू0 1,72,500 चा0 सं0 114/20.3.90 को तृतीय किश्त के रूप में जमा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-	अनुसचिव उ0 प्र0 आवास वि0 अनुभाग -1 के पत्रांक 3275/ 37-1-88 -18/ ई0 डब्लू0 एस0/88 दिनांक 3-11-88	68 ई0डब्लू एस0 क्वाटरों के निर्माणार्थ	564000	25. 3. 89	564000	शून्य	564000	मूल0 22576 ब्याज - 64906	541824	ब्याज दर 11 1/2% तथा समय से भुगतान न होने पर 3 1/2 % अति0 ब्याज देय था । आहरण के 1 वर्ष पश्चात 25 समान किश्तों मे मूलधन एवं देय ब्याज का भुगतान होना था । कुल रुपया-87482 चा0 सं0 115 एवं 116 दिनांक - 20. 3. 90 को जमा ।